

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 87/2025

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी -

1. भवानी शंकर पुत्र रेवाशंकर जाति
खत्री निवासी मेघवालों का बास,
बाड़मेर (मैसर्स खत्री नमकीन,
कल्याणपुरा मार्ग नंबर 4 बाड़मेर
का विक्रेता व मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं
मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री चंद्रभान सिंह महेचा अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 10.03.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स खत्री नमकीन, कल्याणपुरा मार्ग नंबर 4 बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **13.06.2025** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **नमकीन (खत्री ब्राण्ड)** 500-500 ग्राम वाले 15 पैकेट एक लकड़ी की रैंक में रखे हुए थे, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 04 पैकेट **नमकीन (खत्री ब्राण्ड)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी-2985** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **नमकीन (खत्री ब्राण्ड)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **25.06.2025** में उक्त खाद्य पदार्थ **नमकीन (खत्री ब्राण्ड)** का नमूना को **Contravene the regulation and Misbranded** बताया गया जिसकी अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।
2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में यह प्रकट किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ **नमकीन (खत्री ब्राण्ड)** एक उत्तम क्वालिटी की नमकीन है, जिससे आज तक किसी भी उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं हुई। उक्त खाद्य पदार्थ की रिपोर्ट में मिथ्याछाप बताया गया है जिससे यह कहीं भी



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 87/2025/खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम भवानी शंकर अंकित नहीं होता कि उक्त खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता खराब है। अतः उक्त परिवाद को खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 में उक्त नमूना **Contravene the regulation and Misbranded** स्तर का पाया गया है। नमूना जांच रिपोर्ट में **B.R. Reading of extracted Oil at 40 Degree C** का मानक स्तर तय नहीं होने से **Name of Edible Oil not given** के मुकाबले **50.38** पाया गया जो मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को धारा 46 की उप-धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में यह प्रकट किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन (खत्री ब्राण्ड) एक उत्तम क्वालिटी की नमकीन है, जिससे आज तक किसी भी उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं हुई। उक्त खाद्य पदार्थ की रिपोर्ट में मिथ्याछाप बताया गया है जिससे यह कहीं भी अंकित नहीं होता कि उक्त खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता खराब है। अतः उक्त परिवाद को खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर रूपये 20,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेन्द्र सिंह) निर्णयन अधिकारी एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर